प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 14 जुलाई,2016**

विषय:- **विभाग में शासन द्वारा नियुक्त किये गये माननीय सलाहकार के मानदेय आदि भुगतान हेतु अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-001-03-केन्द्रीय निदेशालय की योजना के मानक मद -07-मानदेय में पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-84/बजट-आयोजनागत/2016-17 दिनांक 10.06.2016 के सन्दर्भ में एवं शासन के पुनर्विनियोग संख्या-आर0ई0-42/ई-1/दस-2016, दिनांक-29.06.2016 पृष्ठांकन संख्या-1766/58-2016-213/2016 दिनांक 06.07.2016 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 2401-001-03-07 के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0-300 हजार (रूपया तीन लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
10	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-केन्द्रीय निदेशालय 07-मानदेय	330	300
		330	300

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

4. व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि को पुनर्विनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0-बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित कर जारी की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त।

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

संख्या-45/2016/2058(1)/58-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
6. वित्त नियन्त्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in